

## शोध के नए माहौल की नैतिकता

**भारतीय** परिप्रेक्ष्य में ज्ञान का दान, महादान माना जाता रहा है। ज्ञान की श्रुति परंपरा में एक पीढ़ी

से दूसरी पीढ़ी तक का ज्ञान, लोक अनुभव से छन कर, कुछ जुड़ता और घटता हुआ आगे बढ़ता रहा है। यह ज्ञान के विकास की प्रक्रिया है। शोध की परंपरा समाज की ज्ञान संपदा को समृद्ध करती है। जिस पीढ़ी में ज्ञान के गोपन या छुपाने का आत्मकेंद्रित चिंतन संस्कार में रहा, वहीं ज्ञान के विकास की प्रक्रिया रुक गयी। भारतीय ज्ञान का शास्त्रीय चिंतन इसी ज्ञान विकास प्रक्रिया के अनुगमन से अत्यंत समृद्ध हुआ और उक्त आत्मसंकोच के कारण उसके कुछ अध्याय विलुप्त हो गये। आज ज्ञान के लोकतांत्रीकरण का युग है, इसी का दूसरा पक्ष ज्ञान का पूँजीवाद भी है। आज ज्ञान सेलेबल आइडम बन चुका है। कॉपी राइट का कानून कहीं न कहीं इस बात का समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है। जिसके पास सूचना का भंडार है, वह ताकतवर है। जो ज्ञान से समृद्ध है, ज्ञान जिसके आत्मविस्तार का साधन है, वह व्यक्ति और समाज अधिक प्रबुद्ध और सुखी है, उस समाज का जीवन स्तर ऊँचा है।

एक शोधार्थी किसी शोध समस्या के उत्तर की प्रेरणा से शोधरत् होता है। एक अनुसंधानकर्ता के नाते उसके अध्ययन क्षमता एवं शोध प्रणाली की कुछ सीमाएँ भी होती हैं। यथा एक शोधार्थी अपने अध्ययन के लिए कुछ न्यादर्शों (Sample) का चयन करता है उनके प्रेक्षण के आधार पर सैद्धान्तिकी विकसित करना चाहता है तो निश्चित ही, कुछ न्यादर्श के ऊपर किया गया अध्ययन संपूर्ण वर्ग के लिए सत्य हो, यह आवश्यक नहीं है, यह उसकी अपनी सीमा है। इसी प्रकार उसके अध्ययन में कुछ और भी कमियाँ हो सकती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के कार्य में कुछ अवकाश (Space) ऐसा छूट जाता है जो अन्य अनुसंधानकर्ता के लिए शोध कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो एक अनुसंधानकर्ता के स्वयं किए शोध कार्य में ऐसे अवकाश रहते हैं, जिसको वह दूसरे चरण में करते हुए अपने ज्ञान को समृद्ध कर सकता है, या अपने विषय वस्तु को विकसित कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक सम्पन्न शोध कार्य, अगले शोध कार्य की प्रेरणा है। प्रणाली में एक शोधार्थी का उस विषय में पूर्व सम्पन्न शोध से अनिवार्य संबंध बनता है। उसे अपने कार्य के संदर्भ में दूसरे के लिए कार्य का संदर्भ लेना आवश्यक है। जिसका संदर्भ लिया जाए उसका उल्लेख किया जाए, यह किसी भी शोधार्थी का अनिवार्य नैतिक कर्तव्य है। देश की विश्वविद्यालय प्रणाली में सम्पन्न शोध में शोध प्रविधि का प्रयोग करते हुए शोधार्थी आवश्यक रूप से संदर्भ देते हैं।

शोध कार्य में कभी कभी चूक वश, अज्ञानता वश या कभी-कभी जानबूझकर कार्य में शार्टकट के आशय से, दूसरे के लिए कार्य का पुनरुत्पादन होने लगता है। यह एक प्रकार से आधुनिक युग की शोध प्रणाली में साहित्यिक चोरी के रूप में संदर्भित होती है। आज जब सूचना प्रौद्योगिकी ने सभी शोध कार्यों का डेटा बेस बनाना संभव कर दिया है, तो यह शोधार्थियों के लिए बड़ा साधन सुलभ हुआ है। आज शोधार्थी अपने विषय में सम्पन्न शोध कार्य देख सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है। पूर्व में इसका अभाव कुछ शोध सामग्री के ऊपर आश्रित रहता था, जिससे शोध कार्य सीमित होने लगता था। इन्टरनेट पर भी विषय के संबंध में पर्याप्त सामग्री सहज उपलब्ध हो जाती है। प्रायः शोधार्थी अपने शोध पत्रों में नेट से प्राप्त सामग्री का उपयोग करते हैं। कॉपी, पेस्ट की प्रणाली में वे संपादन से भी जी चुराते हैं और संदर्भों का उल्लेख नहीं करते हैं, वह निश्चय ही साहित्यिक चोरी है। आज ऐसे साहित्यिक चोरी पकड़ने वाले बेवबसाइट हैं जो पूरे सामग्री के संदर्भ स्थलों की एवं संदर्भित पाठ्य के आकार की सूचना सहज, दे देती हैं। शोध की दिशा में यह एक उपलब्धि है। शोधार्थी अपने अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का उपयोग करें और उन्हें पूर्ण नैतिकता के साथ संदर्भित करें। अपनी मौलिकता का अवश्य ध्यान रखें। इस पर ध्यान न देना हमारे लिए कई बार हास्यास्पद हो जाता है। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी ने ज्ञान को डिजिटल बना दिया है। सूचना डिजिटल रूप में डाटाबेस में संग्रहीत होने लगा है। इन्टरनेट ने इसे सहज संभव बना दिया है। गूगल जैसे सर्च इंजन के माध्यम से सूचनायें खोजकर सहज प्राप्त की जा सकती हैं। अनुसंधानकर्ता इन सूचनाओं का उपयोग अपने शोध में करते हैं, किन्तु कुछ अनुसंधानकर्ता अपने शब्दों में उन सूचनाओं का प्रयोग, मूल स्रोत का उल्लेख किये बिना करते हैं। यह नैतिक दृष्टि से पूर्णतया गलत है। अधिकतर को यह पता नहीं है कि अनेक साहित्यिक चोरी पकड़ने वाले साफ्टवेयर और वेबसाइट उस पाठ के समस्त स्रोतों की सूचना प्रदान कर देती हैं और शब्दशः उस मूल स्रोत से उठाये गये सामग्री के भाग को प्रदर्शित कर देते हैं, खोजे जा रहे पाठ नेट पर उपलब्ध पाठ, का मिलान कर डिजिटल रूप में पूरी सूचना प्रदान कर देते हैं। विषय विशेषज्ञ समीक्षित प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं को, इन समस्याओं से अनवरत् दो-चार होना पड़ता है। नये अनुसंधानकर्ता अन्तरताना (इन्टरनेट) पर ज्ञान कोष

# शोध संचयन

SHODH SANCHAYAN  
ISSN 2249-9180 (Online)  
ISSN 0975-1254 (Print)  
RNI No.: DELBIL/2010/31292

An Internationally  
Indexed Refereed  
Research Journal & A  
complete Periodical  
dedicated to  
Humanities & Social  
Science Research  
मानविकी एवं समाज  
विज्ञान के मौलिक एवं  
अंतरानुशासनात्मक शोध  
पर केन्द्रित

Half Yearly

Vol-4, Issue-2  
15 July, 2013

संपादकोय

[www.shodh.net](http://www.shodh.net)

Web Portal of  
Humanity & Social  
Science Research

से सामग्री लेते समय इमानदारी से मूल स्रोतों की सूचना अवश्य दें और अपने शोध विषय के प्रतिपादन में मौलिकता का परिचय दें, यह आज के समय की मांग है।

भारत की पारंपरिक गुरु केन्द्रित शिक्षा प्रणाली बदल चुकी है। आज विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा प्रणाली का समय है। शिक्षा भी सेवा है, जिसे शिक्षार्थी खरीदता है। वर्तमान में शिक्षा का निजीकरण इस मानदण्ड का समर्थन भी करता है। दूसरे, शिक्षा की सरकारी संस्थाओं में इस आदर्श का पालन व्यावसायिक ईमानदारी का पर्याय बन चुका है। अतएव शोधार्थी को स्वयं अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अनुसंधान की सारी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता पर आकर टिकती है क्योंकि यह अनुसंधान शोधार्थी को व्यक्तित्व प्रदान करता है।

सृजन और अनुसंधान ज्ञान को समृद्ध करते हैं। मध्यकाल के एक कवि घनानन्द ने भी कहा था “मोहि तो मेरे कवित्त बनावत”। इसी प्रकार शोध शोधकर्ता के व्यक्तित्व की रचना करता है, उसके ज्ञान को समृद्ध करता है, आत्म विश्वास में वृद्धि करता है, जीविका के साधन का विस्तार करता है और उसके यश को बढ़ाता है। कापी राइट कानून, शोधकर्ता को और मजबूत बनाता है।

मौलिक शोध जब तक विषय विशेषज्ञों से पुष्ट (श्रेणजपलि) नहीं होता, पूर्व के अनुसंधान अथवा ज्ञान के आलोक में प्रकाशित होकर शोध प्रविधियों का पालन करते हुए, पूर्ण ईमानदारी से ज्ञान के नये क्षितिज का विस्तार नहीं करता, तब तक वह मौलिक शोध जनता (पब्लिक डोमेन) की वस्तु नहीं है। दूसरे शब्दों में, समस्या मूलक आत्मालाप अथवा व्यक्तिगत चिंतन का परिणाम आनुभविक शोध हो सकता है, किन्तु शोध के रूप में उसको स्वीकृति तब मिलती है जब उसके प्रकाशन के पूर्व, उसके पूर्व के संबंधित अनुसंधानों के आलोक में समीक्षा न हो जाये। ज्ञान का डिजिटल विश्वकोष “विकीपीडिया” उसकी भी उस मौलिक शोध को नहीं स्वीकार करता जब तक उसे समीक्षित पत्रिकायें या प्रतिष्ठित प्रकाशक प्रकाशित नहीं कर देते। अतएव प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अपने अनुसंधान से संबंधित शोध विषय का साहित्य सर्वेक्षण भली भांति कर ले और पूर्व के साहित्य सामग्री का संदर्भ लेते समय मूल शोधकर्ता को उस ज्ञान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करे। शोध की वर्तमान प्रणाली इसे आवश्यक मानती है।

लोकानुभव के आधार पर अपने अनुभव को पुष्ट करना भी अनुसंधान है। उसकी परंपरा में कुछ जोड़ना और उसे आगे बढ़ाना भी अनुसंधान है। किन्तु यह आवश्यक है कि मूल स्रोत लेखक को संदर्भित किया जाये। भारत की अधिकांश संस्थाएँ शोध प्रविधि को प्रश्रय देने लगी हैं किन्तु साहित्यिक चोरी और शोध के अन्य मानदण्डों में समरूपता का अभाव है। इन्टरनेट के आने से ज्ञान की दुनिया खुल चुकी है। अनुसंधानकर्ता के लिए जागरूकता आवश्यक है। इसके प्रति लापरवाही घातक हो सकती है, क्योंकि अब केवल देश की संस्थाओं से ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आलोक में भी कार्य करना है।

शोधकार्य में विश्वविद्यालय और शोध संस्थाओं द्वारा मानक लागू किए जाने से शोधार्थी वर्तमान समय में थोड़े जागरूक दिखते हैं, किन्तु शोध आलेख लिखने में पर्याप्त लापरवाही प्रकाश में आती है। कॉपी-पेस्ट की प्रणाली से उपर उठकर शोध के मानदंडों और आदर्शों को स्वीकार करना एवं मौलिकता का परिचय देना शोध के नये माहौल की नैतिकता है।

SHODH SANCHAYAN  
- डॉ० योगेन्द्र प्रताप सिंह  
मुख्य संपादक